(24)

न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 195/09–10, 126/18–19, 66/18–19 का प्रकार :

बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकारः– समरेन्द्र प्रसाद सिंह

प्रतिपक्षीः– कैलाश प्रसाद सिंह एवं अन्य।

आदेश का कम संख्या और तारीख	अपीलकर्ता:– 1– समरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता–स्व0 सुरज सिंह ग्राम–सिमरी (पूरब) डाकघर, थाना+अंचल–राजनगर। प्रतिपक्षीगणः–1– कैलाश प्रसाद सिंह पिता स्व0 रामानन्द सिंह ग्राम–सिमरी (पूरब) डाकघर, थाना+अंचल–राजनगर। .....**प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष।** 2– गोदावरी देवी पति–सत्येन्द्र नारायण सिंह ग्राम–सिमरी डाकघर, थाना+अंचल–राजनगर। वर्तमान पताः– ग्राम+डाकघर+थाना–नवहट्टा जिला–सहरसा .....**प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।** **विवादित भूखण्डः– खाता संख्या–12 खेसरा संख्या– 2604 पुराना, खाता–1356 खेसरा–3472 नया रकवा– 0–4–2 (चार कट्ठा दो धूर)।**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	आदेश	
27.02.19	प्रस्तुत अपील वाद समाहर्ता महोदय के माननीय न्यायालय में वाद संख्या–195/09–10, 126/18–19 के रूप चला। पत्रांक–3053/जि0विधि दिनांक–06.09.2018 द्वारा उक्त वाद अभिलेख सुनवाई कर निष्पादन हेतु इस न्यायालय में हस्तान्तरित हुआ। इस न्यायालय में अपील वाद संख्या–66/18–19 के रूप में संचालित हुआ। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख संख्या–1/08–09 समरेन्द्र प्रसाद सिंह–बनाम–कैलाश प्रसाद सिंह एवं अन्य प्राप्त। वाद में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपना–अपना पक्ष रखा। वाद की सुनवाई की गई तथा आदेशार्थ रखा गया। **<u>अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>** 1–विवादित भूखण्ड पूराना खेसरा संख्या–2604 का संपूर्ण रकवा 0–12–6(बारह कट्ठा छः धूर) था जो जगधारी सिंह के हिस्से एवं दखल कब्जा में थी। 2– जगधारी सिंह के निधन के बाद आपसी बटवारा में उनके तीनों पुत्रों 1–सरयुग सिंह, 2–राज बल्लभ सिंह एवं 3–सुरज सिंह को आपसी बटवारा में 0–4–2 (चार कट्ठा दो धूर) उत्तर से सूरज सिंह (अपीलकर्ता के पिता) को, दक्षिण से 0–4–2 (चार कट्ठा दो धूर) सरयुग सिंह एवं मध्य में 0–4–2 (चार कट्ठा दो धूर) राज बल्लभ सिंह प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के पिता के हिस्से में आयी। 3– राजबल्लभ सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी माया देवी एवं एक पुत्री गोदाबरी देवी(प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष) को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। पति के निधन के बाद प्रश्नगत भूखण्ड के मध्य वाली भूमि से 0–4–2 (चार कट्ठा दो धूर) उनकी पत्नी माया देवी एवं पुत्री गोदाबरी देवी के हिस्से एवं दखल में आयी। 4–प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष माया देवी एवं गोदाबरी देवी ने संयुक्त रूप से निबंधित केवाला संख्या–6951/99 दिनांक–05.11.1999 को 0–4–2 (चार कट्ठा दो धूर) जमीन प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष कैलाश सिंह को हस्तान्तरित कर दिया जिसका उल्लेख निम्न न्यायालय अभिलेख में है। निबंधित केवाला में	

दर्ज चौहद्दी के उत्तरी चौहद्दी में अपीलकर्ता का नाम दर्ज है।

5–उपरोक्त निबंधित केवाला निबंधन अधिनियम की धारा–60 एवं 61 के अनुसार दिनांक–09.02.2008 को कियान्वित हुआ। अपीलकर्ता ने दस्तावेज का पक्का नकल 02.04.2008 को प्राप्त कर निम्न न्यायालय में अग्रक्रय का आवेदन दिनांक–24.04.2008 को दायर किया जो भू0हद0अधिनियम की धारा–16(3) के प्रावधान के तहत तीन माह के अंदर था।

6– अपील आवेदन में अंकित बंशावली के अनुसार अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत के साथ–साथ को–शेयरर भी हैं। भूमि दो फसला है।

7– निम्न न्यायालय ने गलत आधार देते हुये आदेश पारित कर दिया कि अग्रक्रय का आवेदन नौ वर्षो के बाद दायर किया गया तथा आवेदन को खारिज कर दिया जो निबंधन अधिनियम का उल्लंघन है। निम्न न्यायालय का आदेश आच्छेपित एवं हस्तक्षेप योग्य है। अपील आवेदन को स्वीकार करते हुये निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज किया जाय।

<u>प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>

1– विवादित भूखण्ड प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के हिस्से एवं स्वत्व में थी जिन्हें पैसे की आवश्यकता होने पर भूमि बिक्री किये जाने का एलान किया। अपीलकर्ता भूमि क्रय करने हेतु इच्छूक नहीं हुये जबकि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष तयसूदा जरसेमन पर भूमि क्रय करने हेतु इच्छूक हुये। प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष ने कुल जरसेमन पाकर निबंधित केवाला के माध्यम से भूमि हस्तान्तरित कर दखल सौप दिया प्रश्नगत भूमि प्रतिपक्षी प्रथम के स्वामित्व एवं दखल–कब्जा में है।

2– लगभग 09 वर्षो के बाद अपीलकर्ता ने लैण्ड सिलिंग की धारा– 16(3) के तहत उक्त वाद लाया जो गलत नीयत को दर्शाता हैं। सही तौर पर एल0सी0प्रपत्र–13 में न तो फार्म भरा गया और न ही सही तौर पर नोटिस दी गई अपील खारिज योग्य है।

3– प्रश्नगत जमीन बस्ती के नजदीक की है जहॉ घर–घरारी निर्मित है। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने भी इसी उद्देश्य से भूमि क्रय किया। प्रश्नगत भूमि 05.11.1999 को ही क्रय की गयी जिसपर वे हकीयत के साथ दखलकार रहते चले आ रहे हैं।

4– केवाला सम्पादन के नौ वर्षो के बाद अग्रक्रय वाद लाया जाना प्रमाणित करता है कि अपीलकर्ता प्रश्नगत जमीन क्रय करने हेतु इच्छूक नहीं थे। पंजीकरण की तिथि का बहाना लेकर गलत नीति के तहत धारा– 16(3) के प्रावधानों का गलत लाभ उठाकर बहुत सस्ती मूल्य में जमीन प्राप्त करने का अपीलकर्ता का प्रयास है। नौ वर्ष पूर्व जमीन का जो मूल्य था आज की तिथि में बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है।

5– निम्न न्यायालय द्वारा सही तौर पर आवेदक के अग्रक्रय आवेदन को खारिज कर दिया गया जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपील आवेदन को खारिज करते हुये निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–21.08.2009 को सम्पूष्ट किया जाय।

<u>भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी के न्यायालय अभिलेख संख्या–1/08–09 समरेन्द्र प्रसाद सिंह–बनाम–कैलाश प्रसाद सिंह में पारित आदेश दिनांक–21.08.2009 का मुख्य अंशः–</u>

1– केवाला का सम्पादन दिनांक– 05.11.1999 को हुआ और उसी दिन खरीददार ने जरसेमन बिक्रीदार को देकर भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त कर लिया। निबंधक द्वारा पूछकर ही केवाला सम्पादित किया जाता है।

2– केवाला का पंजीकरण दिनांक–09.02.2008 को हुआ जिस के आधार

(26)

पर वाद दाखल किया गया है।

3– केवाला सम्पादन के लगभग नौ वर्षो के बाद आवेदक द्वारा अग्रक्रयाधिकार वाद दायर करना इच्छूक खरीदार का न होना प्रमाणित करता है। पंजीकरण की तिथि का बहाना लेकर सोंची–समझी नीति के तहत धारा– 16(3) के प्रावधानों का गलत लाभ उठाकर बहुत सस्ती मूल्य में जमीन प्राप्त करने का प्रयास है। नौ वर्ष पूर्व जमीन का मूल्य जो आज की तिथि में बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है, यह एक कारण लगता है कि अधिनियम के प्रावधानों के आड़ में जमीन प्राप्त करने का आवेदक का कुत्सीत प्रयास किया गया है। अधिनियम हमेशा जनहित में ही होता है ना कि जन समस्या पैदा करने अथवा किसी अहित के लिये।

4– स्पष्ट है कि आवेदक इच्छूक खरीददार नहीं थे नौ वर्षो की लम्बी अन्तराल के बाद अधिनियम के प्रावधानों का नाजायज लाभ लेने के उद्येश्य से आवेदक द्वारा यह वाद दायर किया गया जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध प्रतीत होता है। आवेदक के अग्रक्रयाधिकार आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष:–

अपीलकर्ता का अपील आवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के कम में प्रस्तुत पक्ष, निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख में पारित आदेश का अवलोकन एवं उपलब्ध साक्ष्यों का परिसिलन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय का आदेश तार्किक है। नौ वर्षो की लम्बी अन्तराल के बाद भू0हद0अधिनियम की धारा–16(3) के अंतर्गत निम्न न्यायालय में अग्रक्रय वाद दायर किया जाना आवेदक को प्रश्नगत भूमि के इच्छूक खरीददार नहीं होना प्रमाणित करता है। भू0हद0अधिनियम की धारा–16(3) अधिनियम के प्रावधानों का नाजायज लाभ लेने के उद्येश्य से आवेदक द्वारा यह वाद निम्न न्यायालय में दायर किया गया जिसे निम्न न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध पाते हुये आवेदक के अग्रक्रय आवेदन को खारिज कर दिया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मैंने त्रुटि नहीं पाया इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। निम्न न्यायालय द्वारा वाद संख्या–1/08–09 समरेन्द्र प्रसाद सिंह–बनाम–कैलाश प्रसाद सिंह में पारित आदेश दिनांक–21.08.2009 को बरकरार रखते हुये अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अग्रेत्तर कार्यार्थ वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते है।

लेखापित

27/2/19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

27/2/19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।